संख्या-14/2023-2327-57-2023-1-G-2021-TC-3

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी,
उ0प्र0 वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग **लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2023**

विषय:- **जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज - नयाघाट मार्ग के मेन स्पाईन रोड (लम्बाई-12.940 कि0मी0) के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-434/ध0का0वि0नि0/अयो0/2023-24, दिनांक 20.11.2023 एवं जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या-1653/1ए, दिनांक 10.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज नयाघाट मार्ग के मेन स्पाईन रोड (लम्बाई- 12.940कि0मी0) के निर्माण हेतु निर्माण मद में चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 12000.00 लाख (120.00 करोड.) की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण किये जाने एवं भूमि/भवन क्रय हेतु शासनादेश संख्या-836-57-2022-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 11.08.2022 द्वारा प्रायोजना की अनुमोदित मूल लागत रु0 79769.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (जिसमें भूमि/भवन क्रय के मद में धनराशि रु0 37877.00 लाख तथा मार्ग निर्माण हेतु धनराशि रु0 41892.00 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण मद में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 10000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी तथा शासनादेश संख्या-1180-57-2022-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 10.07.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 10946.00 लाख, शासनादेश संख्या-1588-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 30.08.2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 10473.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-1761-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 29.09.2023 द्वारा निर्माण मद में अनुमोदित लागत धनराशि रू0 46616.56 लाख के सापेक्ष फसाड ट्रीटमेन्ट कार्य हेतु धनराशि रू0 3093.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इसी प्रकार शासनादेश संख्या-879-57-2022-1-जी-2021-टी .सी.-3, दिनांक 18.08.2022 द्वारा भूमि अधिग्रहण/पुनर्वास कार्य हेतु व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रु0 37877.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 19000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये। पुन: शासनादेश संख्या-73-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 13.01.2023 द्वारा उक्त कार्य हेतु रूपये 10000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है। इस प्रकार निर्माण मद में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत धनराशि रू0 46616.56 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 34512.42 लाख तथा भूमि भवन क्रय मद में स्वीकृत धनराशि रू0 37877.00 लाख के सापेक्ष रू0 29000.00 लाख की धनराशि अब तक निर्गत की जा चुकी है।

3- आपके उक्त पत्र दिनांक 20.11.2023 के साथ संलग्न अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र में उक्त निर्गत धनराशि रू0 31419.00 लाख (रूपये तीन अरब चौदह करोड़ उन्नीस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 28600.00 लाख व्यय होने तथा रू0 2819.00 लाख अवशेष होने की सूचना दी गयी है। साथ ही कार्य अनुमोदित विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक बताते हुए अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य की भौतिक प्रगति 81 प्रतिशत होने का उल्लेख किया गया है।

4- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज-नयाघाट मार्ग के मेन स्पाईन रोड (लम्बाई-12.940 कि0मी0) के निर्माण मद हेतु अनुमोदित लागत रू0 46616.56 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 9773.31 लाख (रूपये सत्तानबे करोड. तिहत्तर लाख इकतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या की होगी तथा कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(2) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन / कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत प्रस्तरों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग भी की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, इसे रोकने का दायित्व कार्यदायी संस्था सहित जिलाधिकारी, अयोध्या का होगा।

(6) लेबरसेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपर्युक्तय स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को वित्तीसय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध् कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(10) नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लिरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये, इस कार्य का दायित्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग का होगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या का होगा।

(12) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्यदायी संस्था द्वारा यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(14) इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0- 834/57-2022- 1(जी) /2021टीसी-3, दिनांक 03.08.2022, शासनादेश सं0- 836/57-2022-1(जी)/ 2021टीसी-3, दिनांक 11.08.2022, शासनादेश संख्या2-1180-57-2022-1-जी-2021-टीसी-3, दिनांक 10.07.2023, शासनादेश संख्याय-1588-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 30.08.2023 एवं शासनादेश संख्या-1761-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 29.09.2023 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(15) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल. वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार वाराणसी से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16) उक्त मानक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। पुनर्विनियोग आदेश संख्या-आर.ई.-बजट-1-235, दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। पुनर्विनियोग प्रपत्र-बी0एम0-9 संलग्न है। पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 97,73,31,000 (रुपये सत्तानवे करोड़ तिहत्तर लाख इकतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 4250008000400 श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग **मानक मद** 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-14/2023-2327(1)-57-2023-1-G-2021-TC-3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
6- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
8- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
10- अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-14/2023-2327-57-2023-1-G-2021-TC-3

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी,
उ0प्र0 वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग **लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2023**

विषय:- **जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज - नयाघाट मार्ग के मेन स्पाईन रोड (लम्बाई-12.940 कि0मी0) के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-434/ध0का0वि0नि0/अयो0/2023-24, दिनांक 20.11.2023 एवं जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या-1653/1ए, दिनांक 10.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज नयाघाट मार्ग के मेन स्पाईन रोड (लम्बाई- 12.940कि0मी0) के निर्माण हेतु निर्माण मद में चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 12000.00 लाख (120.00 करोड.) की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण किये जाने एवं भूमि/भवन क्रय हेतु शासनादेश संख्या-836-57-2022-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 11.08.2022 द्वारा प्रायोजना की अनुमोदित मूल लागत रु0 79769.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (जिसमें भूमि/भवन क्रय के मद में धनराशि रु0 37877.00 लाख तथा मार्ग निर्माण हेतु धनराशि रु0 41892.00 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण मद में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 10000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी तथा शासनादेश संख्या-1180-57-2022-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 10.07.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 10946.00 लाख, शासनादेश संख्या-1588-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 30.08.2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 10473.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-1761-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 29.09.2023 द्वारा निर्माण मद में अनुमोदित लागत धनराशि रू0 46616.56 लाख के सापेक्ष फसाड ट्रीटमेन्ट कार्य हेतु धनराशि रू0 3093.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इसी प्रकार शासनादेश संख्या-879-57-2022-1-जी-2021-टी .सी.-3, दिनांक 18.08.2022 द्वारा भूमि अधिग्रहण/पुनर्वास कार्य हेतु व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रु0 37877.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 19000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये। पुन: शासनादेश संख्या-73-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 13.01.2023 द्वारा उक्त कार्य हेतु रूपये 10000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है। इस प्रकार निर्माण मद में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत धनराशि रू0 46616.56 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 34512.42 लाख तथा भूमि भवन क्रय मद में स्वीकृत धनराशि रू0 37877.00 लाख के सापेक्ष रू0 29000.00 लाख की धनराशि अब तक निर्गत की जा चुकी है।

3- आपके उक्त पत्र दिनांक 20.11.2023 के साथ संलग्न अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र में उक्त निर्गत धनराशि रू0 31419.00 लाख (रूपये तीन अरब चौदह करोड़ उन्नीस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 28600.00 लाख व्यय होने तथा रू0 2819.00 लाख अवशेष होने की सूचना दी गयी है। साथ ही कार्य अनुमोदित विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक बताते हुए अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य की भौतिक प्रगति 81 प्रतिशत होने का उल्लेख किया गया है।

4- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज-नयाघाट मार्ग के मेन स्पाईन रोड (लम्बाई-12.940 कि0मी0) के निर्माण मद हेतु अनुमोदित लागत रू0 46616.56 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 9773.31 लाख (रूपये सत्तानबे करोड. तिहत्तर लाख इकतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या की होगी तथा कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(2) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन / कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत प्रस्तरों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग भी की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, इसे रोकने का दायित्व कार्यदायी संस्था सहित जिलाधिकारी, अयोध्या का होगा।

(6) लेबरसेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपर्युक्तय स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को वित्तीसय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध् कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(10) नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लिरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये, इस कार्य का दायित्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग का होगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या का होगा।

(12) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्यदायी संस्था द्वारा यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(14) इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0- 834/57-2022- 1(जी) /2021टीसी-3, दिनांक 03.08.2022, शासनादेश सं0- 836/57-2022-1(जी)/ 2021टीसी-3, दिनांक 11.08.2022, शासनादेश संख्या2-1180-57-2022-1-जी-2021-टीसी-3, दिनांक 10.07.2023, शासनादेश संख्याय-1588-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 30.08.2023 एवं शासनादेश संख्या-1761-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 29.09.2023 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(15) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल. वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार वाराणसी से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16) उक्त मानक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। पुनर्विनियोग आदेश संख्या-आर.ई.-बजट-1-235, दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। पुनर्विनियोग प्रपत्र-बी0एम0-9 संलग्न है। पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 97,73,31,000 (रुपये सत्तानवे करोड़ तिहत्तर लाख इकतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 4250008000400 श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग **मानक मद** 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-14/2023-2327(1)-57-2023-1-G-2021-TC-3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
6- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
8- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
10- अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-14/2023-2327-57-2023-1-G-2021-TC-3

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी,
उ0प्र0 वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग **लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2023**

विषय:- **जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज - नयाघाट मार्ग के मेन स्पाईन रोड (लम्बाई-12.940 कि0मी0) के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-434/ध0का0वि0नि0/अयो0/2023-24, दिनांक 20.11.2023 एवं जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या-1653/1ए, दिनांक 10.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज नयाघाट मार्ग के मेन स्पाईन रोड (लम्बाई- 12.940कि0मी0) के निर्माण हेतु निर्माण मद में चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 12000.00 लाख (120.00 करोड.) की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण किये जाने एवं भूमि/भवन क्रय हेतु शासनादेश संख्या-836-57-2022-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 11.08.2022 द्वारा प्रायोजना की अनुमोदित मूल लागत रु0 79769.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (जिसमें भूमि/भवन क्रय के मद में धनराशि रु0 37877.00 लाख तथा मार्ग निर्माण हेतु धनराशि रु0 41892.00 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण मद में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 10000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी तथा शासनादेश संख्या-1180-57-2022-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 10.07.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 10946.00 लाख, शासनादेश संख्या-1588-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 30.08.2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 10473.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-1761-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 29.09.2023 द्वारा निर्माण मद में अनुमोदित लागत धनराशि रू0 46616.56 लाख के सापेक्ष फसाड ट्रीटमेन्ट कार्य हेतु धनराशि रू0 3093.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इसी प्रकार शासनादेश संख्या-879-57-2022-1-जी-2021-टी .सी.-3, दिनांक 18.08.2022 द्वारा भूमि अधिग्रहण/पुनर्वास कार्य हेतु व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रु0 37877.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 19000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये। पुन: शासनादेश संख्या-73-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 13.01.2023 द्वारा उक्त कार्य हेतु रूपये 10000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है। इस प्रकार निर्माण मद में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत धनराशि रू0 46616.56 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 34512.42 लाख तथा भूमि भवन क्रय मद में स्वीकृत धनराशि रू0 37877.00 लाख के सापेक्ष रू0 29000.00 लाख की धनराशि अब तक निर्गत की जा चुकी है।

3- आपके उक्त पत्र दिनांक 20.11.2023 के साथ संलग्न अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र में उक्त निर्गत धनराशि रू0 31419.00 लाख (रूपये तीन अरब चौदह करोड़ उन्नीस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 28600.00 लाख व्यय होने तथा रू0 2819.00 लाख अवशेष होने की सूचना दी गयी है। साथ ही कार्य अनुमोदित विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक बताते हुए अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य की भौतिक प्रगति 81 प्रतिशत होने का उल्लेख किया गया है।

4- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज-नयाघाट मार्ग के मेन स्पाईन रोड (लम्बाई-12.940 कि0मी0) के निर्माण मद हेतु अनुमोदित लागत रू0 46616.56 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 9773.31 लाख (रूपये सत्तानबे करोड. तिहत्तर लाख इकतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या की होगी तथा कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(2) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन / कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत प्रस्तरों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग भी की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, इसे रोकने का दायित्व कार्यदायी संस्था सहित जिलाधिकारी, अयोध्या का होगा।

(6) लेबरसेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपर्युक्तय स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को वित्तीसय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध् कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(10) नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लिरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये, इस कार्य का दायित्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग का होगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी, अयोध्या का होगा।

(12) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्यदायी संस्था द्वारा यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(14) इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0- 834/57-2022- 1(जी) /2021टीसी-3, दिनांक 03.08.2022, शासनादेश सं0- 836/57-2022-1(जी)/ 2021टीसी-3, दिनांक 11.08.2022, शासनादेश संख्या2-1180-57-2022-1-जी-2021-टीसी-3, दिनांक 10.07.2023, शासनादेश संख्याय-1588-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 30.08.2023 एवं शासनादेश संख्या-1761-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-3, दिनांक 29.09.2023 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(15) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल. वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार वाराणसी से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16) उक्त मानक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। पुनर्विनियोग आदेश संख्या-आर.ई.-बजट-1-235, दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। पुनर्विनियोग प्रपत्र-बी0एम0-9 संलग्न है। पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 97,73,31,000 (रुपये सत्तानवे करोड़ तिहत्तर लाख इकतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 4250008000400 श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग **मानक मद** 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-14/2023-2327(1)-57-2023-1-G-2021-TC-3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
6- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
8- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
10- अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।